

Hindustan Times

DRY

me of Work:
TI Certified
of Rail Coach
if Opening:
13; Existing
of Start of
ditions Will
By CEE/PS
d: 24.04.2023

क: 19.04.2023

भित्तियों/कम्पनिमें से
है। निविदा प्रपत्र

| | | |
|--|----|------------------|
| तकनीकी निविदा खोलने की तारीख व समय | 13 | 03.05.23 4 PM |
|--|----|------------------|

आयुक्त
गम जोधपुर दक्षिण

गारा,

क: 12.04.2023

तहत रु. 150.00
स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
निर्माण विभाग, रेल,
मन्म ऑनलाइन विड

| | |
|--------------------------------|--------|
| कार्य पूर्ण करने की अवधि | 12 माह |
|--------------------------------|--------|

gov.in पर देखा जा
सकत मुख्य अभियंता
क्षेत्र द्वितीय, जोधपुर

informed that



मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौदा देवी पर्यावरण भवन"
46वीं, आई. टी. पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून
E-mail : msukpeb@yahoo.com | दूरभाष 0135-2607092

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग-रामनगर, नैनीताल द्वारा तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल में कोसी नदी से रेता, बजरी, बोल्टर खनन/चुगान (क्षेत्रफल-181 है.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा झापट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्रावधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जनसाधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु 'नैनल' की सरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद नैनीताल या उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो - लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 25-सुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौदा देवी पर्यावरण भवन 46-बी, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी जनपद नैनीताल (iv) कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल (v) कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल (vi) जिला उद्योग केंद्र नैनीताल में उपलब्ध है, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। झापट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग-रामनगर, नैनीताल द्वारा तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल में कोसी नदी से रेता, बजरी, बोल्टर खनन/चुगान (क्षेत्रफल-181 है.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 29.05.2023 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत् समय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हँडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियाँ एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Hindustan Times 25.04.2023

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-नर्मदापुरम (म)

E-mail :- modgmhos@mp.gov.in

नर्मदापुरम, दिनांक 21

पत्र क्र./129/ई-नीलामी सूचना/रेत/2023

रेत खनिज की अल्पकालिक ई-निविदा सूचना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अन्तर्गत रेत खदानों के निविदाओं के माध्यम से संचालन के लिये निविदाएं आमंत्रित करने हेतु जिला कलेक्टर, नर्मदापुरम के अधिकृत किया गया है। जिला नर्मदापुरम अंतर्गत रेत खनिज की आपूर्ति हेतु म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक 2081/1140/2021/12/2 भोपाल दिनांक 13.04.2022 एवं संचालक, प्रभु खनिज म.प्र. से प्राप्त पत्र क्रमांक-4339/गुप-3/न.क्र.-35/2022 भोपाल दिनांक 13/04/2023 क्रमांक-4794/गुप-3/न.क्र.-35/2022 भोपाल दिनांक 21/04/2023 के अनुसार जिले में स्थित रेत खनिज के संचालन हेतु पूर्व की निविदा की प्रचलित दर 360.25/- प्रति घनमीटर (अन्य करों के अतिरिक्त) एवं अनुमत मात्रा हेतु अनुबंध निष्पादन से एक माह अथवा दिनांक 30/06/2023 तक संचालन के लिये ए के ऑनलाईन पोर्टल <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय निविदाएं जमा करने की अवधि दिनांक 24.04.2023 से 06.05.2023 अपराह्न में 05.00 बजे तक रहेगी।

निविदा की विस्तृत प्रक्रिया, समूहों का विवरण, विस्तृत शर्तें तथा प्रक्रिया का विवरण <https://mptenders.gov.in> के अतिरिक्त संचालनालय, भौमिकी तथा खनिज मंत्रालय के पोर्टल <https://ekhanij.mp.gov.in> के अतिरिक्त संचालनालय, भौमिकी तथा खनिज मंत्रालय के पोर्टल <https://www.mineralresources.mp.gov.in> पर उपलब्ध है। म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 भी निगम की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय के निवारण हेतु ई-मेल (modgmhos@mp.gov.in) पर पृच्छा भेजी जा सकती है। साथ ही ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदाकार के डिजिटल सिग्नेचर (क्लास III) आवश्यक होंगे। जिले की निविदा मात्रा एवं निविदा हेतु शासकीय मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | समूह का नाम | समूह में सम्मिलित ब्लॉक का नाम | समूह में सम्मिलित तहसील का नाम | समूह में सम्मिलित रेत खदानों की कुल संख्या | समूह की निविदा हेतु कुल अनुमत मात्रा (घनमीटर में) | निविदा हेतु शासकीय मूल्य (अपसेट प्राईज प्रति घनमीटर में) |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | समूह क्रमांक | माखननगर | माखननगर | 01 | 632700 | 22,79,30,11 |
| | | सिवनीमालवा | सिवनीमालवा | 01 | | |
| | | पिपरिया | पिपरिया | 02 | | |